HPFD-F05/313/2023-FCA
वन विभाग हिमाचल प्रदे ा।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः क्षेत्रीय अधिकारी,
उप–कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय), चण्डीगढ़
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, ि ावालिक खण्ड,लौंगबुड,
ि ामला, हिमाचल प्रदे ा–1710001

दिनांक ि ामला–1

विषयः **Diversion of 0.182 ha.of forest land in favour of DIRECTORATE OF TRANSPORT OF HP, Regional Manager, Rampur Distt. Shimla H.P for the construction Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, District Shimla HP within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. , HP. (Online Proposal No. FP/ HP/Others/ 148085/2021).**

महोदय,

आपके कार्यालय के प्रस्ताव सं0 FP/HP/Road/148085/2021 दिनांक 19.10.2025 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विशयाधिन प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधिन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

शर्तें		उत्तर
।ण	**वे भार्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आव यकता है:**	प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की रा ि जमा करावा ली है।
पण	प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा रा ि जमा करावाई जाए।	
पपण	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे ों की अनुपालना सुनि चत करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे ों की अनुपालना सुनि चत करेंगी।
पपपण	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे ा दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05. 2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्दे ा संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 2.5358 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे ा दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्दे ा संख्या 5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 1.5358 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई गई है।
पअण	प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान रा ाी पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल	प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान रा ाी पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से

	ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।	CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।
अण	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड की जाए।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड कर ली है।_
अपण	प्रयोत्का एजेंसी को यह सुनि चित करना है कि प्रतिपूरक भुल्क (सीए लागत, एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राि ा को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में विकार नही किया जाएगा ।	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक भुल्क (सीए लागत, एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा की गई है और केवल उपयुक्त बैंक में यह रा ाि जमा कर ली हैं।
अपपण	प्रयोत्का एजेंसी यह सुनिच्श्रित करेगी कि सभांग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही **स्वीकृत** किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की भार्तों के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आ ाय का एक वचन पत्र कि **इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है** प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए अनिवार्य होगा।	इस आ ाय का एक वचन पत्र कि **इस मंडल के पास Stage-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है,** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
टप्प्प	FRA 2006 की अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।	FRA 2006 का अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।
ठण	**वे भार्ते जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोत्का एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ड में कड़ाई से पालन करने की आव यकता हैं, परन्तु अडंरटेकिंग के रुप में अनुपालन स्टेज–।। अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है।** 1 वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
2	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्यां किसी भी रुप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्यां किसी भी रुप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षोंकी कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
3.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 0.3640 है0 वन भूमि Block/compartment/Survey No-53E/11, DPF Shakaridhar, Nankhari Forest Range,Rampur Bushahr Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradeshपर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय दे ाी प्रजाति मिश्रित रुप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 0.3640 है0 वन भूमि Block/compartment/Survey No-53E/11, DPF Shakaridhar, Nankhari Forest Range,Rampur Bushahr Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradeshपर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय दे ाी प्रजाति मिश्रित रुप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा।
4ण	प्रस्तावित सी0ए0 भूमि, यदि राज्य वन विभाग के नाम है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज,अन्यथा IFA, 1927 के	प्रस्तावित सी0ए0 भूमि, यदि राज्य वन विभाग के नाम है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज,अन्यथा IFA, 1927 के अन्तर्गत

अन्तर्गत अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज वन मण्डलाधिकारी की अनुपालना रिर्पोट के साथ संलग्न है।
5ण राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी।	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सर्न्दभ की बचनबद्वता संलग्न है।
6ण वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द ाए गये उदे य के अलावा किसी अन्य उदे य के लिए नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द ाए गये उदे य के अलावा किसी अन्य उदे य के लिए नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
7ण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्दे ों अनुसार, जब कभी भी NPV की रा ि बढाई जाएगी तो उस बढी हुई NPVकी रा ि को जमा करने के लिए प्रयोत्का एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी रा ि जमा करना सुनिच्श्रित करेंगे।	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्दे ों अनुसार, जब कभी भी NPV की रा ि बढाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की रा ि को जमा करने के लिए प्रयोत्का एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी रा ि जमा करना सुनिच्श्रित करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
8ण एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्दे ा के अनुसार उपयोग कर्ता ऐजेंसी द्वारा किया जाएगा।	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता ऐजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
9ण स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति वि ोश को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति वि ोश को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
10ण केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले–आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	केंद्रीय सरकार कि अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
11ण वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक ि ाविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक ि ाविर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
12ण प्रयोक्ता अभिरण द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाऐंगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराि ा उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिरण द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाऐंगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराि ा उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
13ण परियोजना कार्य के निशपादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निशपादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
14ण प्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है।	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
15ण प्रयोत्का एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोत्का एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
16ण स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंब्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	सीानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंब्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
17ण प्रयोक्ताएजेंसीसीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र मे उपयुक्त अंडर / ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ताएजेंसीसीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र मे उपयुक्त अंडर / ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने

	बचनबद्धता दी है।
18ण यदि आव यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आव यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
19ण परियोजना निमार्ण से उत्सर्जित मलवे निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। मलबा निस्तारण स्थल पर द ाए गए वृक्षों का पातन नहीं किया जाएगा।	परियोजना निमार्ण से उत्सर्जित मलवे निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
20ण इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोत्का एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह–समाप्ति होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
21ण अन्य कोइ भी भार्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
22ण यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदे ा/अनुछेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
23ण इनमें से किसी भी भार्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 में उल्लेखित दि ानिर्दे ा 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

Signed by

Sanjay Sood

Date: 04-05-2026 17:10:03

नोडल आफिसर एवं प्र० मुख्य

अरण्यपाल(एफ०सी०ए०)हि०प्र०